

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

<p>प्रार्थी प्रकाश डागर पुत्र हनुमानराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी बगरू खुर्द तह. सांगानेर</p>	<p>बनाम</p>	<p>अप्रार्थीगण कैलाशचन्द पुत्र हीरालाल जाति जाट वगैरह निवासी बालमुकन्दपुरा उर्फ नाड़ा तहसील सांगानेर जयपुर</p>
<p>राजस्व बुद्ध - प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955</p>		
<p>राजस्व प्रार्थना-पत्र 82/2019</p>		<p>RCMS No. 2019 / 00191</p>
<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज</p>	
<p>231/19</p>	<p>वकील प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 21.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>21.01.2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान सरकार से बाहर पधर आ अतः पत्रावली दिनांक 03/03/2020 को पेश हो है। 31/3/2020 वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को अज्ञान लगाए जाई। अज्ञानित हो कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी करण करी करण एजरी के कारण विरु अज्ञान के कारण ही फिलहाल अज्ञान होकर अज्ञान के कारण अज्ञान अज्ञान है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>		

